भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2437

जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है

चालकों के लिए कार्य समय-सीमा और विश्राम-संबंधी प्रावधान

2437. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चालकों की क्लान्ति कम करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अनुज्ञाप्राप्त वाहनों में अनिवार्य द्वि-चालक प्रणाली का नियम लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के अनुसार चालकों के लिए कार्य के घंटों की सीमा तय करने और साप्ताहिक विश्राम प्रावधानों के अनुपालन को लागू करने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 91 के अनुसार, परिवहन वाहन चलाने के लिए नियुक्त किसी भी व्यक्ति के काम के घंटे मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 में दिए गए अनुसार होंगे।

(ख) मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 भी राज्य सरकारों के माध्यम से शासित होता है। तथापि, इस अधिनियम की धारा 31 और 32 में क्रमशः मोटर परिवहन कर्मचारियों के रोजगार और अन्य अपराधों के संबंध में प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है।

*****